प्रकाशन हेतु अनुमोदित

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

एकल पीठ:- माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 150/2004

अपीलार्थी — नासिर खान, आत्मज अहमद खान, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी बजरंग नगर, मोहारा, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी — छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपस्थित :-

अपीलार्थी की ओर से श्री रजनेश श्रीवास्तव , अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री संदीप यादव, उप शासकीय अधिवक्ता ।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत अपील

निर्णय

(4 दिसम्बर 2012 को प्रेषित)

1. यह अपील दिनांक 7-8-2003 के उस निर्णय के विरुद्ध है, जो राजनांदगांव के विशेष न्यायाधीश ने स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ, अधिनियम 1985 (जिसे आगे

अधिनियम, 1985' कहा जाएगा) के अनुसार विशेष प्रकरण क्रमांक 43/2003 में सुनाया था। इस निर्णय के अनुसार, आरोपी/ अपीलार्थी नासिर खान को अधिनियम, 1985 की धारा 20(ख) के अनुसार दोषी ठहराया गया है और उसे 10 साल की कठोर कारावास की सज़ा और 50,000/- रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है; जुर्माना न भरने पर, उसे 1 साल की अतिरिक्त कठोर कारावास की सज़ा भुगतनी होगी।

2. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का प्रकरण इस प्रकार है:

दिनांक 26-02-2003 को, उप-निरीक्षक टी. खाखा (अभियोजन साक्षी-7) पुलिस थाना कोतवाली, राजनांदगांव में पदस्थ थे। उस तारीख को, उन्हें एक मुखबिर से गुप्त सूचना मिली कि अपीलार्थी ने एक प्लास्टिक बैग में गांजा रखा हुआ है और वह उसे बेचने जा रहा है। यह गुप्त सूचना मिलने पर, उन्होंने प्रदर्श पी-6 के माध्यम से उस सूचना को दर्ज किया और उसे नगर पुलिस अधीक्षक को भेज दिया; इसके बाद, वे घटनास्थल, अर्थात गंज चौक की ओर रवाना हो गए। अपीलार्थी वहाँ एक प्लास्टिक बैग के साथ मिला। अपीलार्थी को अधिनियम, 1985 की धारा 50 के अनुसार उसके अधिकारों के बारे में प्रदर्श पी-7 के माध्यम से सूचित किया गया, और उसकी तलाशी के संबंध में अपीलार्थी की सहमति प्रदर्श पी-7 में ही दर्ज की गई। गवाहों की उपस्थिति में प्लास्टिक बैग की तलाशी ली गई, और प्लास्टिक बैग से गांजा बरामद किया गया। भौतिक सत्यापन के बाद, यह पाया गया कि बरामद की गई वस्तु गांजा थी, और उस पदार्थ, अर्थात गांजे का पहचान पंचनामा प्रदर्श पी-19 के माध्यम से तैयार किया गया। गांजे का वजन किया गया, और वजन पंचनामा प्रदर्श पी-9 के माध्यम से तैयार किया गया। गांजे को प्रदर्श पी-4 के माध्यम से अभिग्रहीत कर लिया गया। प्लास्टिक बैग में 11.500 किलोग्राम गांजा पाया गया। अभिग्रहीत किए गए गांजे के 100-100 ग्राम के दो नमूने अलग-अलग तैयार किए गए। इसके बाद, उप-निरीक्षक टी. खाखा (अभियोजन साक्षी-7) ने देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-17) दर्ज की। उप-निरीक्षक टी. खाखा (अभियोजन साक्षी-7) अपीलार्थी और अभिग्रहीत की गई वस्तुओं के साथ पुलिस थाना कोतवाली, राजनांदगांव वापस आ गए। उन्होंने पुलिस थाना में एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-18) दर्ज की। अभिग्रहीत किए गए गांजे और उसके नमूनों को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए मालखाना में रख दिया गया। अभिग्रहीत किए गए गांजे के नमूनों को रासायनिक जाँच के लिए रायपुर स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था, और वहाँ से एक प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-13) प्राप्त हुई, जिसमें गांजे का परीक्षण सकारात्मक पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जाँच पूरी होने के बाद, राजनांदगाँव में 1985 के अधिनियम के अनुसार विशेष न्यायाधीश की न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोग-पत्र दायर किया गया; न्यायाधीश ने ही विचारण का परिचालन किया और अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए, ऊपर बताए अनुसार दंडादेश सुनाया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, श्री रजनीश श्रीवास्तव ने यह तर्क दिया कि 1985 के अधिनियम की धारा 42, 50, 55 और 57 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि प्लास्टिक बैग में गांजा था, और यह भी कि प्लास्टिक बैग से लिए गए नमूनों को सील किया गया था, और सील का एक नमूना निशान तैयार किया गया था। नमूने दिनांक 26-2-2003 को लिए गए थे, और उन्हें दिनांक 3-3-2003 को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, रायपुर भेजा गया था। नमूने दिनांक 5-3-2003 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर में पेश किए गए थे। नमूनों को काफी देरी के बाद भेजा गया था, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसलिए, अपीलार्थी की ज़ब्ती विधि के अनुसार नहीं थी। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, रायपुर भेजे गए प्लास्टिक बैग की सील के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए, अपीलार्थी उस आरोप से दोषमुक्त होने का हकदार है जो उसके विरुद्ध लगाया गया है।

4. राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप-शासकीय अधिवक्ता श्री संदीप यादव ने, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए, यह निवेदन किया कि विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश में इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. पक्षों के विरोधी तर्कों को सुनने के पश्चात्, मैंने विशेष प्रकरण संख्या 43/2003 के अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. 1985 के अधिनियम की धारा 20(ख) के अनुसार दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराने हेतु, अभियोजन पक्ष ने प्रधान आरक्षक सुंदरलाल गोरले (अभियोजन साक्षी-1), प्रधान आरक्षक बाबूलाल सिन्हा (अभियोजन साक्षी-2), विजय (अभियोजन साक्षी-3), चंपालाल सोनी (अभियोजन साक्षी-4), आरक्षक सोनचंद डहरिया (अभियोजन साक्षी-5), कुमार स्वामी (अभियोजन साक्षी-6) और उप-निरीक्षक टी. खाखा (अभियोजन साक्षी-7) का परीक्षण किया। अपीलार्थी ने अपने बचाव में किसी भी साक्ष्य का परीक्षण नहीं किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. अब, मैं यह जाँच करूँगा कि क्या अधिनियम, 1985 की धारा 42 के प्रावधान का सारतः पालन किया गया है अथवा नहीं?

8. उप-निरीक्षक टी.खाखा (अभियोजन साक्षी-7) ने अभिकथन किया कि दिनांक 26-2-2003 को, वह पुलिस थाना कोतवाली, राजनांदगांव में पदस्थ थे। उस तारीख को, उन्हें मुखबिर से एक गुप्त सूचना मिली कि अपीलार्थी ने एक प्लास्टिक की थैली में गांजा रखा हुआ है और वह उसे बेचने जा रहा है। उन्होंने आगे अभिकथन किया कि उन्होंने साक्षी कुमार स्वामी (अभियोजन साक्षी-6) को प्रदर्श पी-16 के माध्यम से और विजय (अभियोजन साक्षी-3) को प्रदर्श पी-5 के माध्यम से बुलाया। उन्होंने आगे अभिकथन किया कि उन्होंने गुप्त सूचना को प्रदर्श पी-6 के माध्यम से दर्ज किया।

9. उप-निरीक्षक टी.खाखा (अभियोजन साक्षी-7) ने अपनी प्रति-परीक्षण के कंडिका 19 में अभिकथित किया है कि उन्होंने मुखबिर सूचना पंचनामा के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को दूरभाष पर सूचित किया था।

10. करनैल सिंह विरुद्ध हरियाणा राज्य [(2009) 8 एस. सी. सी 539] के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि:

"35. निष्कर्षतः, ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब्दुल राशिद इब्राहिम मंसूरी विरुद्ध गुजरात राज्य, [(2000) 2 एस. सी. सी 513], में धारा 42(1) और 42(2) की शर्तों का अक्षरशः पालन आवश्यक नहीं माना गया, और न ही साजन अब्राहम विरुद्ध केरल राज्य, [(2001) 6 एस. सी. सी 692], में यह माना गया कि इन शर्तों को बिल्कुल भी पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों निर्णयों का प्रभाव निम्नलिखित था:

क) अधिकारी को, किसी भी व्यक्ति से धारा 42 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की जानकारी प्राप्त होने पर, उसे संबंधित रजिस्टर में लिखित रूप में दर्ज करना होता है और धारा 42(1) के खंड (क) से (घ) के अनुसार कार्रवाई करने से पहले, उसकी एक प्रति तत्काल अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी को भेजनी होती है।

ख) परंतु अगर जानकारी उस समय मिली हो जब अधिकारी पुलिस थाने में मौजूद न हो, बल्कि कहीं आ-जा रहा हो—चाहे गश्त पर हो या किसी और काम से—और जानकारी दूरभाष या किसी अन्य माध्यम से मिली हो, और उस जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करना ज़रूरी हो, और अगर कार्रवाई में ज़रा भी देर होती तो सामान या सबूत हटा दिए जाते या नष्ट हो जाते, तो ऐसी स्थिति में, उसे मिली जानकारी को लिखित रूप में दर्ज करना न तो संभव होगा और न ही व्यावहारिक। ऐसी स्थिति में, वह धारा 42(1) के खंड (क) से (घ) के अनुसार

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कार्रवाई कर सकता है, और उसके बाद, जैसे ही संभव हो, उस जानकारी को लिखित रूप में दर्ज करके तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित कर सकता है।

ग) दूसरे शब्दों में, धारा 42(1) और 42(2) की आवश्यकताओं का पालन—अर्थात प्राप्त जानकारी को लिखित रूप में दर्ज करना और उसकी एक प्रति अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेजना—आमतौर पर अधिकारी द्वारा की जाने वाली तलाशी, प्रवेश और ज़ब्ती की कार्रवाई से पहले होना चाहिए; लेकिन विशेष परिस्थितियों में, जहाँ कोई आपातकालीन स्थिति हो, जानकारी को लिखित रूप में दर्ज करने और उसकी प्रति वरिष्ठ अधिकारी को भेजने की कार्रवाई को एक उचित अवधि के लिए टाला जा सकता है—अर्थात, तलाशी, प्रवेश और ज़ब्ती की कार्रवाई के बाद किया जा सकता है। यह प्रश्न मूलतः तात्कालिकता और औचित्य से जुड़ा है।

घ) यद्यपि, धारा 42 की उप-धाराओं (1) और (2) की आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन न करना अस्वीकार्य है, लेकिन देरी के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण के साथ किया गया विलंबित पालन, धारा 42 का स्वीकार्य पालन माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी देरी के कारण 'आरोपी भाग सकता है, या सामान या सबूत नष्ट हो सकते हैं या हटाए जा सकते हैं', तो कार्रवाई शुरू करने से पहले मिली जानकारी को लिखित रूप में दर्ज न करना, या ऐसी जानकारी की एक प्रति तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को न भेजना, धारा 42 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। लेकिन यदि जानकारी उस समय मिली जब पुलिस अधिकारी पुलिस थाने में था और उसके पास कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त समय था, और यदि पुलिस अधिकारी मिली जानकारी को लिखित रूप में दर्ज करने में विफल रहता है, या उसकी एक प्रति अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेजने में विफल रहता है, तो यह एक संदिग्ध परिस्थिति मानी जाएगी, जो अधिनियम की धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी तरह, जहाँ पुलिस अधिकारी जानकारी को बिल्कुल भी दर्ज नहीं करता है, और अपने वरिष्ठ अधिकारी को बिल्कुल भी सूचित नहीं करता है, तो यह भी अधिनियम की धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा। धारा 42 का पर्याप्त या ठोस पालन हुआ है या नहीं, यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है जिसका निर्णय प्रत्येक प्रकरण में अलग से किया जाएगा। उपरोक्त स्थिति, वर्ष 2001 के अधिनियम 9 द्वारा धारा 42 में किए गए संशोधन से और अधिक सशक्त हो गई। (यह भी देखें: राजिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2011) 8 एस. सी. सी 130)"

11. उप-निरीक्षक टी. खाखा (अभियोजन साक्षी-7) ने अभिकथन किया कि यह सच है कि जब नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय को कोई जानकारी भेजी जाती है, तो नगर पुलिस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधीक्षक कार्यालय द्वारा उसकी एक रसीद/पावती दी जाती है। उन्होंने आगे अभिकथन किया कि उन्होंने 'मुखबिर सूचना पंचनामा' के संबंध में जानकारी दूरभाष के माध्यम से नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दी थी। उन्होंने आगे अभिकथन किया कि यह सच है कि दस्तावेज़ों पर समय का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने आगे अभिकथन किया कि यह सच है कि उन्होंने 24 घंटे के भीतर नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय को कोई जानकारी नहीं भेजी थी।

12. प्रधान आरक्षक सुंदरलाल गोरले (अभियोजन साक्षी-1) ने अभिकथन किया कि दिनांक 26-2-2003 को, वह नगर पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव के रीडर के तौर पर पदस्थ थे। उन्होंने आगे अभिकथन किया कि उन्हें किए गए कार्यवाही से संबंधित प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) मिली थी। प्रदर्श पी-8 में यह नहीं बताया गया है कि मुखबिर सूचना पंचनामा वरिष्ठ अधिकारी को भेजा गया था। रोज़नामचा सान्हा में भी यह बताया गया है कि "इस सूचना को रोजनामचा में दर्ज कर टेलीफोन के माध्यम से नगर पुलिस अधीक्षक, महोदय को अवगत कराया गया।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. प्रधान आरक्षक सुंदरलाल गोरले (अभियोजन साक्षी-1) ने अभिकथन किया कि यह सच है कि उन्हें अधिनियम, 1985 की धारा 42 के अनुसार कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। उन्होंने आगे अभिकथन किया कि यदि अधिनियम, 1985 की धारा 42 के अनुसार नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय को कोई जानकारी भेजी गई होती, तो उन्होंने उसके लिए एक रसीद दी होती। यह भी सच है कि जब कोई पावती दी जाती है, तो उस पर समय और तारीख का उल्लेख किया जाता है।

14. मैंने उप-निरीक्षक टी. खाखा (अभियोजन साक्षी-7) और प्रधान आरक्षक सुंदरलाल गोरले (अभियोजन साक्षी-1) के बयानों को देखा है। ऐसा लगता है कि उप- निरीक्षक टी. खाखा (अभियोजन साक्षी-7) ने उन्हें मिली गुप्त जानकारी को लिखित रूप में दर्ज किया था, लेकिन उन्होंने इसे किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को नहीं भेजा। इसलिए, यह स्पष्ट है कि 1985 के अधिनियम की धारा 42 का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य' (पूर्वोक्त) प्रकरण में निर्धारित विधि को देखते हुए, 1985 के अधिनियम की धारा 42(ख) के प्रावधान का पालन करने के लिए केवल गोपनीय जानकारी को लिख देना ही पर्याप्त नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में, उप- निरीक्षक टी. खाखा (अभियोजन साक्षी-7) ने 1985 के अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान का पालन नहीं किया। इसलिए, विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा दिए

गए इस निष्कर्ष में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने 1985 के अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान का पालन नहीं किया। अतः, यह स्पष्ट है कि 1985 के अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है, जिसके कारण दोषसिद्धि दूषित हो जाती है।

16. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, मैं अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए अन्य बिंदुओं पर विचार करने का इच्छुक नहीं हूँ।

17. उपर्युक्त कारणों से, अपील स्वीकार की जाती है। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ, अधिनियम 1985 की धारा 20(ख) के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश को इसके द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। यह सूचित किया गया है कि अपीलार्थी जेल में है। यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

आर. एस. शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

(अधिवक्ता अभिषेक पांडेय द्वारा अनुवाद किया गया)